Border security in Kutch

1582. SHRI BANGARU LAXMAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Kutch District in Gujarat on the Pak border is a sensitive District;

(b) if so, the details of action taken to protect the life and property of the people living there;

(c) whether it is also a fact that a Memorandum was submitted to the Government by the Gujarat Government in respect of Border Security; and

(d) if so, the action taken in this regard?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) and (b) Reports indicate that after erection of border fencing on International Border of Punjab and major parts of Rajasthan, activities of Pak ISI have shifted toward Gujarat border including Kutch District. In order to counter the threat posed by such activities, BSF troops are maintaining a constant vigil on the International Border along Gujarat. Work of fencing/flood lighting on a 10 Kms. stretch in the Luni Basin area is being executed alongwith the work being done in Rajasthan. Government have also sanctioned the fencing work in further 34 Kms. length in the same area.

(c) and (d) Yes, Sir. Government of India have accorded priority to the security of the border areas of Gujarat sector. Appropriate action has been taken on the various points raised in the Memorandum, in consultation with other departments/agencies of the Government and strengthening of border/ coastal security is a continuing process.

बलात्कार के मामलों के संबंध में विधि आयोग का प्रतिवेदन

1583. **श्री लाला लाजपत राय:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बलात्कार के मामलों की सुनवाई के संबंध में विधि आयोग ने अपने 154वें प्रतिवेदन में दंड प्रक्रिया संहिता के संबंध में कौन-कौन सी मुख्य सिफारिशें की हैं;

(ख) उक्त प्रतिवेदन में और कौन-कौन सी महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं;

(ग) महत्वपूर्ण सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गये हैं या उठाए जाने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार का ऐसे किसी प्रावधान का प्रस्ताव है कि बलात्कार की शिकार महिलाओं की जांच-पड़ताल महिला अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) विधि आयोग ने अपनी 154वीं रिपोर्ट में, बलात्कार के मामलों की सुनवाई के बारे में अनेक सिफारिशें की हैं। इस संबंध में मुख्य सिफारिशें निम्नप्रकार से हैं:-

(i) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 26 (क) में यह उपबन्ध शामिल करना कि जहां तक व्यवहार्य हो, बलात्कार के अपराधों की सुनवाई महिला की अध्यक्षता वाले न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए;

(ii) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) में यह व्यवस्था करना कि भा०दं०सं० की धारा 376, 376-क से 376-घ के अन्तर्गत अपराध को संज्ञान में लेने के लिए शक्ति प्राप्त न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट के साथ संबंधित महिला की चिकित्सा जांच रिपोर्ट लगी हुई है;

(iii) बाल बलात्कार सहित बलात्कार के मामलों की सुनवाई में अनुचित विलम्ब को रोकने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 की उपधारा (1) में एक उपबन्ध किया जाय कि, निर्णय, जहां तक सम्भव हो, साक्षियों की परीक्षा शुरू होने की तारीख से दो महीने के भीतर दे दिया जाना चाहिए;

(iv) संहिता की धारा 327 (2) में विचारण, "बंद कमरे में" करने की व्यवस्था जहां तक व्यवहार्य हो ऐसा विचारण महिला न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना चाहिए;

(v) बलात्कार विचारण कार्यवाहियों के मुद्रण और प्रकाशन पर प्रतिबन्ध को हटाना, बशर्ते कि धारा 327 (3) के अन्तर्गत पक्षों के नाम और पते गुप्त रखे जाए।

(ख) रिपोर्ट में की गयी अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशें, पृथक जांच-पड़ताल एजेन्सी, स्वतंत्र अभियोजन एजेन्सी

की स्थापना करने, गवाहों को संरक्षण और सुविधाएं देने, अभिवाक समझौते, न्याय पंचायतों, सभी अपराधों के पीड़ितों को मुआवजा और महिलाओं को विशेष संरक्षण देने से संबंधित है।

(ग) और (घ) बलात्कार के अपराध की जांच महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जाना भी विधि आयोग की 154वीं रिपोर्ट का एक भाग है। चुंकि आपराधिक प्रकिया संविधान की समवर्ती सूची में है और दण्डिक कानून राज्य सरकारों द्वारा लागू किए जाते है, अत: विधि आयोग की रिपोर्ट को राज्य सरकारों के विचार जानने के लिए उन्हें भेज दिया गया है। चूंकि, आयोग की कुछ सिफारिशों के लिए दण्ड प्रकिया संहिता में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है अत: राज्य सरकारों से उन्हें कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया है। जांच और विचारण के कार्य को सुकर बनाने के लिए इनमें महिला अभियोजकों की नियुक्ति, न्याय पंचायतों की स्थापना, पीड़ित व्यक्ति सहायता कोष का सृजन, पृथक जांच एजेन्सी इत्यादि शामिल हैं।

जहां तक स्वतंत्रण अभियोजन एजेन्सी के सृजन का संबंध है, केन्द्र सरकार ने इसे दण्ड प्रकिया संहिता (संशोधन) विधेयक 1994, जिसे 9 मई, 1994 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया है, में पहले ही शामिल कर दिया है।

Anti-Terrorism Laws of State Governments

1534. SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are in favour of State level anti-terrorism laws, for combating terrorism;

(b) if so, the States that have introduced such laws; and

(c) the steps taken to persuade other States to finalise such laws?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) Yes Sir.

(b) Governments of Tamil Nadu and Maharashtra have formulated such proposals.

(c) in the various coordination meetings convened by the Central Government with the affected States, the States have been, from item to time, advised to take steps in this regard.

Bringing Back Misled Youth of North-East into the Mainstream

1585. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have contemplated any plan to bring back the misled youths of the North-Eastern region to the mainstream of the Nation for their peaceful lives;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, why the Central Government do not take up measures to solve the serious problem, which might affect national integration?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) and (b) The steps taken by the Government to bring back the misled youths of the North-Eastern Region to the mainstream of the Nation for their peaceful lives include:

(i) a willingness to meet and discuss legitimate grievances;

(ii) resolve that violence would not be tolerated;

(iii) accelerated infrastructural development;

(iv) stress on employment schemes;

(v) good governance and decentralisation; and

(vi) surrender and rehabilitation policy.

(c) Does not arise in view of the above.

Bandh in Leh

1586. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that business establishments remained closed and vehicular traffic went off the roads as Leh township observed complete bandh on 26th January, 1999, on the call given by Ladhakh Buddhist Association, following State Government's refusal to allow the Association Chairman to hoist the tri-colour flag on Republic Day; if so, what are the details thereof; and